

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई-1, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 1/2020

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

बाबूलाल पुत्र अगराराम जाति
मूढ निवासी भोजासर, तहसील
बायतु जिला बाड़मेर
(मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर,
महावीर नगर बाड़मेर जिला
बाड़मेर का मालिक)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश


दिनांक : 02.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर, महावीर नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 19.06.2019 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** जो कि एक फ्रीज में लगभग 5 किलोग्राम भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **1 किलोग्राम पनीर (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1041** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई

जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से सैम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला तक भेजने की प्रक्रिया में समय लगने से पनीर की गुणवत्ता व स्थिति में परिवर्तन संभव है। अप्रार्थी की फर्म से लिये खाद्य पदार्थ के नमूने की रिपोर्ट जो जोधपुर लैब से आई हैं उसमें माईनर त्रुटि बताई गई है तथा उक्त वैल्यू में अधिक अंतर नहीं होने के साथ ही किसी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करने का आदेश फरमावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **04.07.2019** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वैल्यू में माईनर अन्तर आया है तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat Content of the Dry Matter मानक स्तर 50.00% के मुकाबले में 41.99% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अधिक अन्तर होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से विक्रय के आशय से रखा गया खाद्य पदार्थ मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका

- उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए रूपये 10000/- अक्षरे रूपये दस हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
 5. आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश विश्नोई-1)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर